न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 100/2019

1. रतन लाल
2. रतीराम
3. अमीचन्द पिसरान सुद्धि
4. वीरो पत्नि मामचन्द
5. सीमा
6. भारती पुत्रीयान मामचन्द
7. विष्णु पुत्र मामचन्द
8. रामस्वरूप नवीरा मंगल
9. अमरचन्द पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी डाबरा तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 20-10-20

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 184/0.66, 201/0.32, 202/0.25, 50/1.21, 270/1/0.15, 271/1/0.03, 275/2/0.14, 276/1/0.08, 277/2/0.06, 18/0.11, 267/0.24, 206/0.52, 298/0.79, 303/0.25, 62/0.28, 66/0.16, 73/0.07, बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी वादी संख्या 4 का पति व वादी संख्या 5 लगायत 7 का पिता मामचन्द फौत हो गया है जमाबन्दी में मामचन्द का नाम दर्ज होता चला आ रहा है मामचन्द के फौत होने की वजह से उसके वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। आराजी मुत0 पूर्व में वादीगण के बुजुर्गान की कब्जे काश्त की आराजी थी। जिस पर उन्होने अपने जीवन

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

काल तक खातेदार की हैसियत रखते हुये काश्त की और बुजुर्गान के मरने के बाद अब वादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड कब्जे काश्त है एवं आराजी पर वादीगण की हिस्सेनुसार ज्वार बाजरे की फसल खडी हुई है इस प्रकार आराजी पुश्तैनी आराजी है। सबूत के तोर पर नकल खसरा चौसाला सम्वत 2010 लगायत 2013 , नकल जमाबन्दी 2022 से 2025, 2033 से 2035, 2050 से 2053, 2017 से 2020 पेश की है। आराजी मुत0 मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड वादीगण की कब्जेकाश्त की आराजी है जिस पर वादीगण के बुजुर्गान काश्तकारी अधिनियम के फौश में आने से पूर्व से ही वाहैसियत खातेदार के रूप में काबिज थे और अब वादीगण काबिज काश्त है। फिर भी वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार दर्ज कर रखा है। जो कि खिलाफ कानून व मौका है जबकि कानून के अनुसार वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा खातेदार दर्ज कर देना चाहिये था। विधि वजह वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा के अपने नाम के आगे लगे गैरखातेदार की इन्द्राज को कलमजन कराकर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करापाने के अधिकारी है। एवं वादी संख्या 4 लगायत 7 मृत्तक मामचन्द के नाम को कलमजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने आपको मुताबिक हिस्सा खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने यह दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया है जिसके प्रतिनिधी तहसीलदार साहब पहाडी है कानूनन तहसीलदार को दो माह का म्यादी नोटिस दिया जाना जरूरी था लेकिन मामना अरजेन्ट नेचर का होने की वजह से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। क्योकि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार का इन्द्राज होने के कारण राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओ से वादीगण को वंचित होना पड रहा है। इसलिए वादीगण ने यह दावा पेश किया है। दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है और आराजी पुश्तैनी है। मुताबिक कानून वादीगण को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में मृत्तक पिता/पति वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 28.08.2019 को वादीगण के दावें को स्वीकार करते हुये जबाब इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी रिकॉर्ड अनुसार वादीगण की पुश्तैनी

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

है जिस पर वादीगण से पूर्व उनके बुजुर्गान काबिज थे और अब स्वयं वादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड काबिज काश्त है। आराजी पर वादीगण के बुजुर्गान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही काबिज काश्त है। कानूनन वादीगण को खातेदारी दिया जाना न्यायहित में है।

मौखिक साक्ष्य वादीगण में पी0डब्लू0 1 रतनलाल , पी0डब्लू02 रतीराम, पी0डब्लू0 3 अमीचन्द, पी0डब्लू0 4 वीरो , पी0डब्लू0 5 सीमा, पी0डब्लू06 भारती , पी0डब्लू0 7 विष्णु, , पी0डब्लू0 8 रामस्वरूप, पी0डब्लू09 अमरचन्द , के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2054–57 , नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062–65, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2017–20, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021–24 , नकल जमाबन्दी सम्वत् 2025–28 , नकल जमाबन्दी सम्वत् 2029–32 , नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033–36 नकल खसरा 2014–2017 पेश की है।

बहस में वकील वादीगण ने निवेदन किया कि विवादित आराजी बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी में स्थित है आराजी हमारे बुर्जुगान की पुश्तैनी आराजी है जिस पर बुर्जुगान अपने जीवन काल तक काश्त करते रहे और उनके मरने के बाद हम वादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण पिता/पति को खातेदार के स्थान पर गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जो खिलाफ कानून व मौका है। आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के फोर्स में आने से पूर्व ही वादीगण के बुर्जगान आराजी पर काश्त करते रहे और अब मौके पर वादीगण का निरन्तर रूप से वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में कब्जा व काश्त है। उक्त आराजी के संबन्ध में राजस्व रिकार्ड में हो रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त आराजी पर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2007(1) पेज संख्या 599 पेश है। इसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2015 धारा 15 ए,230 खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना यदि किसी मामले में व्यक्ति का नाम अधिनियम के लागू होने समय जमाबन्दी के खातेदार उपखातेदार या मौरोसी , खातेदार के रूप में दर्ज है तो वह धारा 15 ए (3) के अन्तर्गत स्वतः खातेदार अधिकार प्राप्त कर लेगा। निवेदन है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार पहाडी के जबाब एवं वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भी अवलोकन किया। तहसीलदार पहाडी द्वारा अपने जबाब में अंकित किया है कि

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

आराजी वादीगण के बुर्जुगान की होना स्वीकार है। जो कि वादीगण की पैत्रिक आराजी है। जो रिकार्ड से साबित है आराजी पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड वादीगण के पिता/पति का नाम गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है। उन्हे खातेदारी दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली संलग्न रिकार्ड एवं जबाब तहसीलदार से आराजी वादीगण की पुश्तैनी होना एवं आराजी पर वादीगण का कब्जा व काश्त है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण काबिले डिक्री के है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नं0 184/0.66, 201/0.32, 202/0.25, 50/1.21, 270/1/0.15, 271/1/0.03, 275/2/0.14, 276/1/0.08, 277/2/0.06, 18/0.11, 267/0.24, 206/0.52, 298/0.79, 303/0.25, 62/0.28, 66/0.16, 73/0.07, बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

Scanned with CamScanner